

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिलें।

विषय:-व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत सत्र 2019-20 में कक्षा-12 (लेवल-4) उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जिला रोजगार कार्यालय एवं NCS Portal पर पंजीयन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत सत्र 2019-20 में कक्षा - 12 (लेवल-4) उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीयन सम्बन्धित जिला रोजगार कार्यालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के National Career Service (NCS) Portal पर पंजीयन करवाया जाना है, जिससे कि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त पंजीयन कार्य ऑनलाईन भी किया जा सकता है।

उक्तानुसार अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का पंजीयन करवाकर राज्य कार्यालय को निम्न प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करायें:-

प्रारूप

क्र.सं.	जिला	कक्षा 12 संचालित व्यावसायिक विद्यालयों की संख्या	कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	NCS पोर्टल पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	विशेष विवरण

www.rajteachers.com

(डॉ. रश्मि शर्मा)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, रास्कूशिप, जयपुर।
3. सहायक निदेशक (नोडल अधिकारी), कौशल, रोजगार और उद्यमिता (रोजगार विंग), दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर -302002
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करायें।
5. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त